ठेके में बिकती मिली नकली शराब, संचालक समेत चार गिरफ्तार

Publish Date:Sun, 28 Mar 2021 05:21 PM (IST)Author: **Jagran**

जागरण संवाददाता फतेहपुर अवैध शराब पर प्रशासन का शिकंजा काले कारोबारियों का डरा

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : अवैध शराब पर प्रशासन का शिकंजा काले कारोबारियों का डरा नहीं पा रहा है। होली और पंचायत चुनाव में मिलावटी व नकली शराब की खेप न केवल गांव-गांव पहुंच गई है बल्कि ठेकों में भी धड़ल्ले से बिक रही है। शनिवार की रात जाफरगंज और आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम ने अनुज्ञापी समेत चार कारोबारियों को गिरफ्तार कर देसी शराब ठेका से नकली बार कोड के 2088 पौव्वा शीशी बरामद किया है। एसपी ने इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को पुरस्कृत किया है। गांव से शराब बेचने की सूचना पर जाफरगंज प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह व आबकारी निरीक्षक लक्ष्मीशंकर बाजपेयी पुलिस टीम के साथ कारोबारी सियाराम निषाद निवासी धौरहरा को धर दबोचा। इसके पास से ठेके की देसी शराब मिली। बार कोड की जांच से पता चला की यह शराब नकली है। सियाराम के पुलिस से सिजौली स्थित अनुज्ञापी जगन्नाथ पाल निवासी महिषा का डेरा मजरे ओरा निस्फी थाना चांदपुर व सेल्समैन हिमांशु सिंह निवासी खोटिला थाना जाफरगंज से शराब लेना स्वीकारा। जिस पर पुलिस ने सेल्समैन को दुकान से कुछ नकली पौव्वा शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने सिजौली स्थित इसके ट्यूबवेल पर छापेमारी की तो वहां पर अनुज्ञापी जगन्नाथ अपने सहयोगी देवेंद्र सिंह निवासी चांदपुर के साथ मिलावटी शराब तैयार कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 431 नकली क्यूआर कोड, 1155 ढक्कन, एक किलो यूरिया, 250 ग्राम फिटकरी, 318 खाली शीशी, 150 पावर हाउस ब्रांड के रैपर, 322 नए कैप्सूल ढक्कन, 2088 मिलावटी पव्वा शराब व शराब बिक्री के 78 हजार 730 रुपये नकद बरामद किए हैं। गैंगस्टर की कार्रवाई कर संपत्ति कुर्क होगी

पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने दोपहर एक बजे पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में पत्रकार वार्ता में कहा, मिलावटी शराब का कारोबार करने वाले कारोबारियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इस सराहनीय कार्य के लिए उन्होंने पुलिस टीम को पांच हजार रुपये से पुरस्कृत करते हुए कहा कि आरोपितों पर धोखाधड़ी कर मिलावटी शराब बनाकर बिक्री करने व आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
..तो पखवारे भर से कर रहे थे कारोबार

प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि अनुज्ञापी व सेल्समैन ने पूछताछ में बताया कि वह पखवारे भर से ही मिलावटी शराब का कारोबार करना शुरू कर आस पास ही बिक्री कर रहे थे, जबकि हकीकत कुछ और है। एक देसी पव्वा में दो शीशी पानी मिलाकर उसमें यूरिया व फिटकरी मिलाकर नशीली शराब तैयार करते थे। कहा कि इनके फरार साथी सोनू की तलाश की जा रही है जो नकली सामग्री मुहैया कराता था। बरामद 2088 पव्वा शराब में 417.6 लीटर शराब थी जिसकी कीमत 1 लाख 68 हजार रुपये है। यूरिया और फिटकरी से तैयार करते थे शराब

जिला आबकारी अधिकारी संतोष तिवारी ने कहा कि पूरे मामले से डीएम व आबकारी आयुक्त को अवगत कराकर सिजौली स्थित देसी शराब ठेका की दुकान बंद करा दी गई है। कहा, दुकान पर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ सभी आबकारी निरीक्षकों को दुकानों के निरीक्षण कर देसी शराब की जांच कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

Source: https://www.jagran.com/uttar-pradesh/fatehpur-fake-liquor-sold-in-contracts-four-including-operator-arrested-21507469.html